दिनांक 09.01.2015 को श्री लाल प्रताप सिंह वित्त नियंत्रक सूडा एवं अध्यक्ष उपसमिति की अध्यक्षता मे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत शहरी आजीविका केन्द्र (CLC) के प्रस्तावों के परीक्षण के सम्बन्ध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के अन्तर्गत शहरी आजीविका केन्द्र की स्थापना हेतु निकायों से प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षण हेतु सूडा के पत्रांक 1464/241/NULM/तीन/2001 (SMID) दिनांक 28.07.14 द्वारा गठित उपसमिति की बैठक दिनांक 09.01.2015 को श्री लाल प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई जिसमें श्री इन्द्र पाल कनौजिया, परियोजना निदेशक, सदस्य संयोजक, उपसमिति, संजीव अग्रवाल सहायक परियोजना अधिकारी, श्री वी0एन0 त्रिपाठी सहायक परियोजना अधिकारी एवं मो0 तैयब, परामर्शी, सदस्य, उपसमिति द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. बैठक में सर्वप्रथम विगत उपसमिति की बैठक दिनांक 08.11.2014 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उक्त बैठक में स्वीकृति हेतु संस्तुति किये गये 06 सी0एल0सी0 के प्रस्तावों में से सभी 06 सी0एल0सी0 की स्वीकृति सम्बन्धित नगरीय निकायों को निर्गत कर दी गयी है।

2. उक्त बैठक में उप समिति द्वारा आगरा, अम्बेड़कर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बदायूं, बहराईच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, फैजाबाद, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, हरदोई, हाथरस, जालौन, कन्नौज, कानपुर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सहारनपुर, सम्भल, संत कबीर नगर, शहजहांपुर, शामली, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सुल्तानपुर, सोनभर्द तथा उन्नाव नगरीय निकायों/जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों का प्रारम्भिक परीक्षण किया गया।

3. प्रारम्भिक परीक्षण में लखनऊ, आगरा, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, मऊ, फर्रुखाबाद, बुलन्दशहर, रायबरेली, बहराइच, उन्नाव, फैजाबाद, बांदा, बदायूं, गोण्डा, आजमगढ़, महोबा, बिजनौर तथा कन्नौज में प्रस्तावित शहरी आजीविका केन्द्र स्थापना के प्राप्त प्रस्तावों के बिजनेस मोड़ की अवधारणा पर आधारित अथवा बिजनेस प्लान पाये जाने के फलस्वरूप इनका विस्तृत परीक्षण कर आगरा शहर में दो तथा अन्य शहरों में एक–एक शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) की स्थापना की स्वीकृति हेतु सशर्त संस्तुति किये जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार उपसमिति द्वारा उल्लिखित 21 नगरों हेतु 22 शहरी आजीविका केन्द्र (सी0एल0सी0) की स्वीकृति हेतु संस्तुति किये जाने का निर्णय वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति के दृष्टिगत लिया गया। अन्य प्रस्तावों को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

4. बैठक में विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि शहरी आजीविका केन्द्र के आत्म निर्भरता के सिद्धान्त पर होने के दृष्टिगत स्वीकृति शहरी आजीविका केन्द्र हेतु द्वितीय किश्त अवमुक्त से पूर्व सभी नगरीय निकायों/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को

सी0एल0सी0 को आत्मनिर्भर बनाने हेतु की गई पहल से प्राप्त सकारात्मक परिणामों के आधार पर प्रतिबद्धता प्रमाण–पत्र देना अपरिहार्य होगा।

5. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत शहरी आजीविका केन्द्र की स्थापना एवं संचालन में एन0जी0ओ0 के माध्यम से कराये जाने के दृष्टिगत पूर्व में दिए गये निर्णय का अनुपालन नगरीय निकायों/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा निम्नानुसार सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया– :

   1) एन0जी0ओ0/वाह्य संस्था का चयन नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर केवल शहरी आजीविका केन्द्र के संचालन हेतु योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाये।

   2) पारदर्शी प्रक्रिया से चयनित एन0जी0ओ0/वाह्य संस्था से शहर मिशन प्रबन्धन इकाई द्वारा अनुबन्ध करने के उपरान्त ही एन0जी0ओ0/वाह्य संस्था को सी0एल0सी0 संचालन का कार्य दिया जाये।

   3) एन0जी0ओ0/वाह्य संस्था से सी0एल0सी0 संचालन हेतु निर्धारित समयावधि हेतु सिक्योरिटी मनी के रूप में रू0 1.00 लाख की बैंक गारण्टी जमा करायी जाये।

   4) एन0जी0ओ0/वाह्य संस्था को सी0एल0सी0 के आत्मनिर्भर होने तक किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जायेगा। सी0एल0सी0 के आत्मनिर्भर होने के उपरान्त सी0एल0सी0 के सभी खर्चे पूर्ण किये जाने के बाद बचत राशि का 10 से 15 प्रतिशत धनराशि कारपस के रूप में सी0एल0सी0 के खाते में रखी जायेगी उसके उपरान्त अर्जित लाभ का कुछ अंश संस्था को प्रॉफिट के रूप में शहर मिशन प्रबन्धन इकाई एवं एन0जी0ओ0/वाह्य संस्था के आपसी सहमति के आधार पर देने का निर्णय लिया जा सकता है। इसका स्पष्ट उल्लेख अनुबन्ध में किया जायेगा।

   5) एन0जी0ओ0/वाह्य संस्था के माध्यम से सी0एल0सी0 संचालित कराये जाने की दशा में भी सी0एल0सी0 का पूर्ण स्वामित्व शहर मिशन प्रबन्धन इकाई का ही होगा। सी0एल0सी0 की स्थापना के समय ली/दी जाने वाली समस्त सामग्री एवं उपकरण तथा सी0एल0सी0 संचालन के मध्य में कभी भी क्रय की गयी समग्री एवं उपकरण का स्वामित्व शहर मिशन प्रबन्धन इकाई का होगा। सी0एल0सी0 की समस्त सामग्री एवं उपकरण की सुरक्षा का पूर्ण उत्तर दायित्व संचालक संस्था का होगा।

   6) एन0जी0ओ0/वाह्य संस्था के माध्यम से सी0एल0सी0 संचालन कराये जाने की दशा में किये जाने वाले अनुबन्ध में संचालक संस्था एवं शहर मिशन प्रबन्धन इकाई के उत्तर दायित्वों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। आय एवं व्यय के स्पष्ट आधारों के साथ सी0एल0सी0 के आत्म निर्भर होने के उपरान्त आपसी सहमति से संचालक संस्था को दी जाने वाली धनराशि का भी उल्लेख अनुबन्ध में नियमानुसार किया जायेगा।

6. निकायों/जनपदों से प्राप्त प्रस्ताव के नवीन अवधारणा पर आधारित होने के दृष्टिगत प्राप्त प्रस्तावों के बिजनेस प्लान पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता के सिद्धान्त पर आधारित नही पाये जा रहे हैं अपितु प्रस्ताव मूल अवधारणा पर आधारित प्राप्त हो रहे हैं के सम्बन्ध में चर्चा में निर्णय लिया गया कि "प्रस्तावो के मूल अवधारणा पर आधारित पाये जाने की दशा में स्वीकृति हेतु सशर्त संस्तुति की जाये।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक सूडा/अध्यक्ष,
उपसमिति

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक– 4087/241/NULM/तीन/2001(SMID) दिनांक– 19/1/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक कैम्प सूडा को निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
3. अपर निदेशक, कैम्प सूडा को अपर निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0/समस्त अधिशाषी अधिकारी एन0यू0एल0एम0 से सम्बन्धित शहर।
6. समस्त सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई।
7. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
8. सहायक वेब मास्टर सूडा को ई–मेल के माध्यम से प्रेषण एवं वेबसाइड पर अपलोड़ हेतु।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियंत्रक सूडा/अध्यक्ष,
उपसमिति